आप.पुनरीक्षण प्र. क्रमांक–56/2022

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला–मुंगेली, (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी–चन्द्र कुमार अजगल्ले)

आप.पुनरीक्षण प्र. क्रमांक–56/2022

संस्थित दिनांक 21–10–2022

CNR No. CGBI040009772022

1– दुलौरिन बाई उम्र–40 वर्ष पति कार्तिकदास,

2– कु. दीपांजली उम्र–14 वर्ष पिता कार्तिकदास,

3– कु. गीतांजली उम्र–11 वर्ष पिता कार्तिकदास,

4– युवराज उम्र–7 वर्ष पिता कार्तिकदास,

क्रमांक 2 से 4 नाबालिग वली मॉ दुलौरिन बाई पति कार्तिकदास

सभी निवासी ग्राम मनकी, तहसील लोरमी,

जिला मुंगेली, छ०ग०

हाल मुकाम पलानसरी, तहसील व जिला मुंगेली, छ०ग०

...आवेदिकागण/पुनरीक्षणकर्तागण

// विरूद्ध //

कार्तिकराम मानिकपुरी उम्र–42 वर्ष पिता अमीनदास मानिकपुरी,

(बिल्डिंग सिविल कॉन्ट्रेक्टर) स्थायी निवासी ग्राम मनकी,

तहसील लोरमी, जिला मुंगेली, छ०ग०,

हाल मुकाम एल.आई.जी. 941 सेक्टर 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,

नयापारा रायपुर, पो०नया रायपुर, जिला रायपुर० छ०ग०

.....अनावेदक/

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से – श्री ए०एच०खान, अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से – श्री एस०के०शुक्ला अधिवक्ता।

– आदेश:–

(आज दिनांक 11/01/2024 को पारित किया गया)

1– पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण न्यायिक मजिस्ट्रेट ,प्रथम श्रेणी, मुंगेली, (श्रीमती श्रुति दुबे) द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 92/2016 दुलौरिन बाई वगैरह विरुद्ध कार्तिकदास में पारित आदेश दिनांक 21/07/2022, जिसके अनुसार आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 125 दं0 प्र 0 सं0 स्वीकार किया जाकर, आवेदिका क्रमांक 1 को 2000/–, आवेदिका क्र. 2 से 4 को 1000/–1000/–कुल 5,000/– मासिक भरण–पोषण की राशि दिलाये जाने का आदेश दिया गया है, से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

2– विचारण न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी/आवेदिकागण की ओर से एक आवेदन अंतर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. का संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदिका क्रमांक 1 का विवाह अनावेदक के साथ 17 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार संपन्न हुआ था। उभयपक्ष के दाम्पत्य जीवन से चार संतान का जन्म हुआ है। आवेदिका की बड़ी बेटी वर्तमान में अपने पिता के पास रहती है। अनावेदक लगभग 5 वर्ष पूर्व से गायत्री नामक महिला से अवैध संबंध स्थापित कर लिया है, तब से आवेदिका के साथ मारपीट प्रारंभ कर दिया है। आवेदिका के चार बच्चे हैं, इसी कारण सब कुछ सहन कर रही थी, परंतु अनावेदक ने गायत्री नामक महिला को भी छोड़कर जलेश्वरी बाई से चुड़ी शादी कर लिया है। आवेदिका के कहने पर भी उसे वापस नहीं भेजा और आवेदिका को घर से भगा दिया। आवेदिका अपने तीन बच्चों को लेकर ग्राम पलानसरी में कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही है। अनावेदक को समझाने पर भी वह आवेदिकागण को अपने साथ ले जाने से इंकार कर दिया है। अनावेदक के उक्त कृत्य की जानकारी उसके जेठ तिलक, सास मोहनी, ससुर अमीनदास, नंनद को हुई, तो वे सभी लोग मिलकर आवेदिका को गाली गलौज करने लगे। आवेदिका गरीब परिवार की है। अनावेदक रायपुर में ठेकेदारी का कार्य करता है, जिससे प्रतिमाह दो से तीन लाख रुपये कमाता है और उसके पिता के पास पांच एकड़ कृषि भूमि है, जिससे लगभग एक लाख से अधिक आय प्राप्त होती है और उसके पास आवेदिका के स्त्रीधन भी है। आवेदिकागण का भरण पोषण करना अनावेदक का नैतिक दायित्व है। अतः इस आधार पर आवेदिका को दस हजार रुपये प्रतिमाह एवं आवेदिका क्रमांक 2 से 4 के लिये 5–5 हजार रुपये, कुल 25 हजार रूपये प्रति माह भरण पोषण की राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

3– विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक कार्तिकदास के द्वारा इस आशय का जबाव प्रस्तुत किया है कि– आवेदिका विवाह के बाद से ही लगातार, अनावेदक को शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताडित करती रही है और हमेशा अत्यधिक पैसे और आरामदेह जीवन के लिये अनावेदक को लगातार ताना मारता और गाली–गुप्तार करती थी। अनावेदक उसकी हरकतों को हमेशा अनदेखा कर रहा था, परंतु दो–ढाई वर्ष पूर्व से वह अपनी मर्जी से अनावेदक को बिना बताये अपने मायके पालनसरी में दो पुत्री एवं एक पुत्र को लेकर निवास कर रही है। उसने अनावेदक की जानकारी के बगैर पांच लाख रुपये और अपनी सारे जेवर साथ लेकर चली गयी है। अनावेदक ने उसे लाने का प्रयास किया, परंतु आवेदिका की माता और भाईयों ने उसे भेजने से इंकार कर दिया। अनावेदक प्रायवेट फंड रायपुर में कार्यरत है और उसे सात हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है, जिससे वह शहर के खर्चें एवं लड़की की पढ़ाई का खर्च वहन करता है तथा अपने माता पिता को 1500/–मासिक देता है। अनावेदक, आवेदिका को अपने साथ रखने को तैयार है, परंतु आवेदिका उस पर शंका कर, उसके साथ नहीं रह रही है। आवेदिका के द्वारा, अनावेदक के विरुद्ध झूठा मुकदमा पेश किया गया है। अनावेदक ने, आवेदिका को सात एकड़ भूमि दिया है और उसके भाई ने भी उसे पांच–सात एकड़ भूमि दी है। अतः आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन को सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया है।

4– विचारण न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 21–07–2022 को पारित किया गया है तथा पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुये पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 को दो हजार रुपये, आवेदिका क्रमांक 2 से 4 तक को एक–एक हजार रुपये राशि कुल 5 हजार रुपये प्रतिमाह क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया है, जिससे परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय ने विधि एवं तथ्य संबंधी एवं प्रकरण की सही मीमांशा न कर गंभीर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को यह मानना था कि अनावेदक बिल्डिंग सिविल कान्ट्रेक्टर का कार्य कर प्रतिमाह 2 से 3 लाख रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 को दो हजार रुपये एवं क्रमांक 2 से 4 को एक–एक हजार रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण राशि दिलाये जाने का आदेश दिया जो महंगाई के समय में अत्यंत कम है, देकर गंभीर भूल

की है। विचारण न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 21–07–2022 पूर्णतः अवैध एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदिका को 10 हजार रुपये एवं आवेदिका क्रमांक 2 से 4 को पांच–पांच हजार रुपये इस तरह कुल 25 हजार रुपये मासिक भरण–पोषण राशि दिलाया जावे।

5– उभय पक्ष के तर्क के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैः–

''क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21/07/2022 विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है?''

6– उभय पक्ष के तर्क के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 92/2016 का अवलोकन किया गया। जिसमें संलग्न आदेश दिनांक 21–07–2022 के निराकरण हेतु तीन विचारणीय प्रश्न निर्मित कर, उसका निष्कर्ष दिये हैं, जिसमें पहला– क्या आवेदिका स्वयं का भरण–पोषण करने में असक्षम है? दूसरा क्या आवेदिका का, अनावेदक के साथ नहीं रहने का उचित और पर्याप्त कारण है ? और तीसरा – क्या अनावेदक, आवेदिकागण के भरण पोषण हेतु सक्षम एवं जिम्मेदार होते हुये भी भरण पोषण करने में उपेक्षा कर रहा है? उक्त तीनों ही विचारणीय प्रश्न के विश्लेषण में आवेदिका को, अनावेदक का विवाहित पत्नी होना और शेष आवेदिकागण को, अनावेदक के संतान होना पाया गया है और वे लोग अनावेदक से उचित कारण से पृथक रह रहे हैं। उक्त दोनों ही प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आवेदिकागण/पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में निर्धारण हुआ है। यहां पुनरीक्षणकर्ता ने विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 के परिप्रेक्ष्य में कि उन्हें उचित भरण–पोषण की राशि प्रदान नहीं किया है, कहकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किये हैं ।

7– विचारण न्यायालय ने अपने आदेश की कंडिका 10 में यह निष्कर्ष दिया है कि अनावेदक एक प्रायवेट नौकरी कर 6–7 हजार रुपये मासिक कमाता है। इसके अलावा उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में केवल 90 डिसमिल कृषि योग्य जमीन होना बताया है। इस प्रकार वह अपर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है, जबकि आवेदिका अपने तथा अपने बच्चों का भरण–पोषण करने में समक्ष नहीं होना बतायी है। अनावेदक, आवेदिकागण की विवाहित पत्नी और संतान होने के कारण और उनका

भरण–पोषण नहीं कर सकने के कारण, आवेदिका क्रमांक 1 के पक्ष में दो हजार रुपये और शेष आवेदिका क्रमांक 2 से 4 को एक–एक हजार रुपये, इस प्रकार कुल पांच हजार रुपये मासिक भरण–पोषण का आदेश दिया गया है। जबकि आवेदिका ने यह बतायी है कि, अनावेदक ठेकेदारी में मकान निर्माण का कार्य करता है और दो से तीन लाख रुपये मासिक कमाई कर लेता है। फलस्वरुप उसने अपने लिये दस हजार रुपये एवं प्रत्येक बच्चों के लिये पांच–पांच हजार रुपये मासिक की दर से मांग की थी।

8– आवेदिका दुलौरिन बाई ने अपने मुख्य परीक्षण में, अनावेदक क्रमांक 1 कार्तिकदास को अपना पति होना और ठेकेदारी का कार्य करना कहते हुये प्र.डी.1 से प्र.डी.3 तक के दस्तवेज पेश करना बतायी है, जिसमें अंजली कंस्ट्रक्शन वर्ष 2015–16 तक के मजदूरी की सप्ताहिक रजिस्टर और उपस्थिति पंजी पेश करना बताती है। इसके अलावा अनावेदक के पास 10–12 एकड़ कृषि भूमि होना और प्रतिवर्ष कृषि से 5 लाख रुपये सलाना आय अर्जित करना एवं कंस्ट्रक्शन की मजदूरी से दस लाख रुपये सलाना आय अर्जित करना बतायी है। परंतु इस संबंध में उक्त प्र.डी.1 से प्र.डी.3 तक के प्रदर्शित दस्तावेज अभिलेख में संलग्न नहीं है, बल्कि डायरी के 4 पन्ने एवं सप्ताहिक उपस्थिति रजिस्टर के दो पन्ने की फोटो कॉपी मात्र संलग्न है, जिसमें प्रदर्श भी अंकित नहीं है। यदि मूल दस्तावेज लाकर प्रदर्शित कराया गया था, तो उसकी फोटो प्रति प्रकरण में पेश कर, उसे भी प्रदर्श अंकित कर संलग्न किया जाना था। इनके कथन में भी मूल दस्तावेज साक्षी को वापस किये जाने का भी कोई टीप उल्लेखित नहीं है। लेकिन साक्षी के साक्ष्य दिनांक 02–12–2019 के आदेश पत्र के अवलोकन से आवेदिक दुलौरिन की ओर से दस्तावेज पेश करना, प्रकरण में दस्तावेज को मूल से मिलान कर, छायाप्रति को प्रकरण में संलग्न किया जाना और मूल वापस किया जाकर आदेश पत्रिका में पावती लिये जाने का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभिलेख में संलग्न फोटो प्रति ही प्रदर्शित दस्तावेजों की प्रति है। यद्यपि उसमें प्रदर्श अंकित होना दर्शित नहीं किया गया है ।

9– आवेदिका दुलौरिन बाई को प्रतिपरीक्षण करने पर यह तथ्य प्राप्त हुआ है कि अंजली कंस्ट्रक्शन नामक कपंनी रायपुर में है, लेकिन अनावेदक कहां–कहां काम करता है, उसे नहीं जानना बतायी है, लेकिन बोरियाकला और कंचना में उसकी साईड होना कहती है। अंजली कंस्ट्रक्शन में किसके–किसके घर काम किया है, उसे नहीं जानती है। इन्होंने किसी प्रकार के भवन निर्माण इकरारनामा के संबंध में कोई

उल्लेख रजिस्टर में नहीं होना बतायी है। अंजली कंस्ट्रक्शन का कार्ड कहीं भी छपवाया जा सकता है, के सुझाव को स्वीकार की है। अंजली कंस्ट्रक्शन के रजिस्टर को उनके अधिकारी या प्रतिनिधि द्वारा जांच किया गया है या नहीं, उसे भी नहीं बता सकना कहती है। इन्होंने इस बात को इंकार की है कि अंजली कंस्ट्रक्शन के कार्ड को इसने स्वयं रजिस्टर में चिपकायी है और हाजिरी रजिस्टर को काल्पनिक नाम डालकर स्वयं भरी है। रजिस्टर के पहले पन्ने पर टेकराम पाल लिखे होने के तथ्य को स्वीकार की है, लेकिन अभिलेख में संलग्न रजिस्टर की फोटो कापी में टेकराम पाल कहीं भी उल्लेख नहीं है, यह हो सकता है कि सही–सही पूरा फोटो कापी कराकर पेश नहीं किया गया हो।

10– इनके पति अनावेदक क्रमांक 1 कार्तिकदास अंजली कंस्ट्रक्शन रायपुर में ठेकेदारी का कार्य नहीं करने और इनके द्वारा वहां केवल मजदूर की हैसियत से काम करने के तथ्य को इंकार की है। अभिलेख में अनावेदक के आय के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है और न ही आय कर रिटर्न भरने की कोई दस्तावेज पेश की है। अनावेदक का कृषि भूमि होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं है, जिसे स्वयं आवेदिका ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार की है। प्रतिपरीक्षण में स्वतः कहती है कि अनावेदक के पास दो एकड़ जमीन है, बाकि जमीन उसके भाई के नाम की है। बडी पुत्री अंजली को अपने पिता अनावेदक के पास रहने की बात को स्वीकार की है। जब तक अनावेदक के आय के संबंध में कोई तथ्य प्रमाणित न हो, तब तक अनुमान के आधार पर आय की उपधारणा केवल जीवन–यापन के लिये ही अर्जित करने योग्य होना माना जावेगा। इस प्रकरण में आवेदिका की ओर से अनावेदक के आय का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं की है, जबकि अनावेदक ने अपने स्वयं के द्वारा दिये गये शपथपत्रीय घोषणा पत्र में स्वयं का कोई आय नही होना, केवल 90 डिसमिल कृषि भूमि होना और मजूदरी का कार्य करना बताया है, परंतु इसने स्वयं के एवं परिवार के भरण–पोषण में दस हजार रुपये प्रतिमाह खर्च होना कहता है। अपने साथ अपनी 60 वर्ष की वृद्ध मॉ मोहनी बाई होना, तथा अपनी पुत्री अंजली उम्र 21 वर्ष को आश्रित होना बताया है। इसने अपनी मॉ के ईजाज में प्रतिमाह 5 हजार रुपये एवं पुत्री की भी पढाई में प्रतिमाह पांच हजार रुपये खर्च होना बताया है। उक्त तथ्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आय उनके खर्च के अनुरूप हो जाता है, तभी वह अपनी पुत्री की पढाई में पांच हजार रुपये मासिक तथा मॉ के ईलाज में पांच हजार रुपये मासिक तथा स्वयं

एवं परिवार के भरण–पोषण में दस हजार रुपये मासिक खर्च होने की बात बताया है। इस प्रकार अनावेदक के स्वयं के शपथ पत्र के साथ की गयी घोषणा पत्र अनुसार बीस हजार रुपये, उनका स्वयं का मासिक खर्च होता है। इसके अलावा उनके द्वारा अपनी पत्नी एवं तीन बच्चों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण–पोषण प्रदान करता है, जिसे मिलाकर कुल 25 हजार रुपये खर्च करता है, यह तभी संभव है, जब उसका मासिक आय 25 हजार रुपये होता हो।

11– आवेदिका दुलौरिन बाई की ओर से प्रस्तुत दूसरे साक्षी खोरबहरा आवेदिका साक्षी क्रमांक 2 ने भी अनावेदक को ठेकेदारी का काम करना बताया है। यद्यपि उसने स्वयं अनावेदक को ठेकदारी का कार्य करते हुये नहीं देखना, लेकिन उनके गांव के व्यक्ति अनावेदक के ठेकेदारी कार्य में मजदूरी करने के लिये गये थे, जिन्होंने अनावेदक को ठेकेदारी का कार्य करना बताया था, कहा है। विश्वनाथ आवेदिका क्रमांक 3 एवं विश्राम आवेदिका साक्षी क्रमांक 4 ने अनावेदक के आय के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया हैं, केवल उन दोनों के पति–पत्नी और संतान उत्पन्न होने और लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने का साक्ष्य पेश किया है, जिस पर पुनरीक्षण में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है।

12– अनावेदक कार्तिकदास अना.सा.1 ने स्वयं को रायपुर में प्रायवेट नौकरी करके 6–7 हजार कमाना बताया है और अपने पिता की मृत्यु हो जाना बताया है और अपने नाम पर 90 डिसमिल कृषि भूमि होना बताया है, लेकिन कृषि भूमि और मजदूरी से वार्षिक दो से तीन लाख रुपये आमदनी अर्जित करने के तथ्य को इंकार किया है। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्ष्य हेमनाथ अना.सा.2 एवं धनीराम अना.सा.3 ने कार्तिकदास को रायपुर में मजदूरी करने की बात बताये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह गांव में सामान्य मजदूरी नहीं करता है, बल्कि शहर में जाकर विशेष मजदूरी करता है, जिससे गांव की अपेक्षा शहर में ज्यादा मजदूरी मिलता है। ऐसी स्थिति में आवेदिकागण की ओर से जो तथ्य बताये हैं कि अनावेदक रायपुर में रहकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसमें कुछ सच्चाई प्रतीत होता है।

13– चूंकि अनावेदक गांव को छोड़कर रायपुर में रहता है और गांव में उपलब्ध सामान्य से अधिक मजदूरी रायपुर में प्राप्त करता है। जिससे उनका स्वयं का भी खर्च 25 हजार रुपये मासिक होना दर्शित होता है, जिससे 25 हजार रुपये तक

की न्यूनतम मासिक आमदनी प्राप्त करना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आवेदिकगण, अनावेदक की पत्नी और संतान होने के कारण तथा उचित और पर्याप्त कारण से अनावेदक से पृथक रहने के कारण, उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने योग्य राशि भरण–पोषण के रुप में दिलाया जाना उचित होगा। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका क्रमांक 1 के लिये दो हजार एवं शेष आवेदिकागण क्रमांक 2 से 4 के लिये एक–एक हजार रुपये मासिक निर्धारण किये हैं, जो उनकी आय के परिप्रेक्ष्य में कम होना प्रतीत होता है। भरण–पोषण का निर्धारण पक्षकारों की हैसियत और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना होता है। साक्ष्य में प्राप्त तथ्यों से अनावेदक दूसरा विवाह कर लिया है, उनके तरफ से भी संतान होना, आवेदिका ने बतायी है तथा आवेदिका के तरफ से उत्पन्न बडी पुत्री, अनावेदक के साथ रहती है और अविवाहित होकर हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही है एवं अनावेदक की वृद्ध मॉ भी जीवित है। इन समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदिकगण को युक्तियुक्त रुप से उचित भरण पोषण दिलाया जाना आवश्यक है ।

14– उपरोक्त विश्लेषण से मैं यह पाता हूं कि विचारण न्यायालय ने वर्तमान मंहगाई एवं अनावेदक के आय को ध्यान में रखते हुये उचित भरण–पोषण का निर्धारण नहीं किया है, अतः उसमें वृद्धि किया जाना उचित पाता हूं। चूंकि आवेदिका, अनावेदक की पत्नी है, इसलिये उसे **तीन हजार रुपये** मासिक एवं शेष आवेदिका क्रमांक 2 से 4 को उसकी व्यस्कता प्राप्ति तक एवं पुत्री दिपांजली एवं गीतांजली को वयस्क के बाद भी अविवाहित एवं आय का कोई साधन नहीं होने तक **दो–दो हजार रुपये** मासिक भरण पोषण अदा करेगा।

15– तदानुसार विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये भरण–पोषण आदेश में संशोधन किया जाता है। उक्त भरण–पोषण राशि आवेदन दिनांक 27–12–2016 से मान्य किया जावेगा और अंतर की राशि को मासिक भरण–पोषण राशि के साथ किश्तों में ही अदायगी करने की स्वत्रंता होगी, चाहे तो अनावेदक अंतर की राशि को एकमुश्त भी अदा कर सकता है। आवेदिका द्वारा पूर्व में प्राप्त अंतरिम भरण–पोषण की राशि विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार ही समायोजन योग्य होगी। फलस्वरुप आवेदिका दुलौरिन बाई की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण **आंशिक रुप से स्वीकार** करते हुये उपरोक्तानुसार आदेश पारित किया जाता है।

16– आदेश की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर पारित किया गया।

सही/–
(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
सत्र न्यायाधीश मुंगेली,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–

(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
सत्र न्यायाधीश मुंगेली,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

मुंगेली, छ.ग.

स्थाना मुंगेली, छ०ग०

दिनांक 11-01-2024